national saving was received from Shri R.S. Dasgupta, Chief Co-ordinator, Policy-Holders Servicing and Research Institute, Calcutta on 29th November, 1991. As per the aforesaid press release the scheme prepared by the Policy-Holders Servicing and Research Institute was stated to be low cost Social Security Scheme mainly for rural people. The scheme was pro- posed to be administered by the Post Office and Banks. Under the proposed scheme, a village family was to open a fixed deposit account in the Post Offices or a Rural Bank and simultaneously, a life insurance policy would be opened in their name. A part of the interest accrued on the deposits in the Post Office or Bank was proposed to be utilised to pay the premium due on the life insurance policy. Further, it was also proposed under the scheme that in case a rural family was too poor to open an account in the Post Office or Bank, some amount may be deposited by the Central or the State Governments.

(d) The above scheme was referred to the Life Insurance Corporation of India which has reported that it is not viable.

Suspension Cases in Regional Rural Banks

3420. SHRI RAMACHANDRAN PILLAI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what are the details of suspension cases in Reginal Rural Banks pending for more than 2 years, state-wise;

(b) what is the number of cases, in which charge-sheets have been framed and departmental enquiry have been started, state-wise; and

(c) what is the number of cases, in which departmental enquiry has been completed but suspensions continue?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DALBIR SINGH): (a) to (c) The information is being colleted and will be laid on the Table of the House.

3421 [*Transferred to the 26th March, 1992*]

दिल्ली में शहरीकृत ग्रामों के निवासियों को आवास ऋण

3422. **डा० जैड० ए० अहमद:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों, जीवन बीमा निगम और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिल्ली के शहरीकृत ग्रामों के निवासियों को आवास ऋण प्रदान किए जाने की कोई योजना है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दिल्ली के ऐसे शहरीकृत ग्रामों के निवासियों को जो लाल-डोरा के अंतर्गत आते हैं किन्तु वहां के मकान मालिकों के पास रजिस्ट्री (लीज) से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं है, "चूल्हा कर" अथवा "गृह कर" के आधार पर आवास ऋण दिये जा सकते हैं; और

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नियमित किए पांच ग्रामों अर्थात टोडापुर, दसघरा, अकड़पुर बाग, मोची नंगली, रजापुर और झिलमिल ताहिरपुर के निवासियों को भी "चूल्हा कर" और "गृह कर" के आधार पर आवास ऋण दिये जायेंगे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार वाणिज्यिक बैंक, व्यक्तियों, आवास वित्त संस्थानों और राज्य आवासीय बोर्डों को आवास वित्त का अनुदान देते हैं। जीवन बीमा निगम की अपनी योजनाएं हैं जिनके तहत वे मकानों के लिए ऋण देते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वे आवास वित्त संवितरण संबंधी दिल्ली या अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अलग से आकड़े नहीं रखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अन्तर्गत वाणिज्यिक बैंक, प्रतिभूति के रूप में सम्पत्ति का बंधक या सरकारी गारंटी स्वीकार करते हैं और जहां कहीं प्रतिभूति सम्भव न हो, जीवन बीमा पालिसी, शेयर और डिबेंचर, स्वर्णाभूषण आदि जैसी अन्य प्रकार की प्रतिभूतियां लेते हैं। जीवन बीमा निगम की योजना में सक्षम प्राधिकारी के संतोष के अनुसार प्रतिभूति प्रस्तुत करने की अपेक्षा भी की जाती है। संबंधित संस्थानों के ऐसे सक्षम प्राधिकारियों को ऋण आवेदनों का मूल्यांकन करना होता है और आवेदक की प्रामाणिकता, अपेक्षित ऋण, प्रतिभूति की किस्म और अन्य विवरण के संबंध में स्वयं को आश्वस्त होना पड़ता है। आवास संबंधी प्रमाण आदि सहित किसी भी प्रकार के कारण से ऋण आवेदनों की अस्वीकृति/ऋणों की नामंजूरी संबंधी विशिष्ट शिकायतों पर संबंधित संस्थान, भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार कार्रवाई करते हैं और उपचारी कदम उठाते हैं।

3423 [*Transferred to the 30th March, 1992*]